# प्रगति प्रतिवेदन

## अलायन-दुहंगन पनबिजली परियोजना से संबंधित शिकायत
## हिमाचल प्रदेश, भारत

**28 अगस्त 2006**

अनुपालन परामर्शदाता/लोकपाल अर्थात कंप्लाएन्स एडवायसर/ओंबड्समैन (सीएओ) का कार्यालय
अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय निगम/बहुपक्षीय निवेश गारंटी एजेंसी (मल्टीलैटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी, संक्षेप में एमआईजीए)

# विषयसूची

सिंहावलोकन …………………………………………………………………………………………1

पृष्ठभूमि …………………………………………………………………………………………1

कार्यरीति …………………………………………………………………………………………3

जांच के परिणाम ……………………………………………………………………………………5

विश्लेषण …………………………………………………………………………………………7

सिफारिशें …………………………………………………………………………………………8

अगला कदम ………………………………………………………………………………………10

## सिंहावलोकन

जगत सुख समुदाय के सदस्यों के अनुरोध पर **20-25 जुलाई 2006** को सीएओ लोकपाल टीम ने अलायन-दुहंगन पनबिजली परियोजना स्थल का दौरा किया। सीएओ का लक्ष्य यह समझना था कि क्या वह अनसुलझी चिंताओं के निराकरण के लिए वर्तमान ग्रामीण संकायों और कंपनी की क्षमता में वृद्धि करने में किसी प्रकार से मदद कर सकता है या नहीं। सीएओ लोकपाल विवाद निपटारे को बढ़ावा देने के लिए सख्त नियमों और सिद्धांतों के तहत काम करता है।

सीएओ ने देखा कि समुदाय और भीलवाड़ा कंपनी के बीच का संबंध पिछले छह महीनों में सुधरा है क्योंकि परियोजना से संबंधित नौकरियों और ठेकों में वृद्धि हुई है, जिससे जगत सुख समुदाय को लाभ पहुंचा है। लेकिन अनेक हितधारकों को कंपनी और समुदाय के बीच के संबंधों को लेकर और इन दोनों की विवाद निपटारा क्षमता को लेकर अब भी चिंताएं हैं। सीएओ के सुनने में आया कि दोनों ही पक्षों को निम्नलिखित में समान रुचि है:

**1)** पंचायत जैसे सामुदायिक नेतृत्व संस्थाओं की क्षमता में वृद्धि करना ताकि वे गांव के विभिन्न एवं परस्पर भिन्न अभिमतों का सुस्पष्ट एवं जवाबदेह रूप से प्रतिनिधित्व कर सकें;

**2)** कंपनी और समुदाय दोनों की ही क्षमता बढ़ाना ताकि वे अधिक सुसंगठित तरीके से साथ-साथ काम करते हुए समान चिंताओं की पहचान कर सकें, इन चिंताओं का वरियता-क्रम निश्चित कर सकें और उनके निराकरण के लिए कार्रवाई कर सकें।

सीएओ को सभी प्रमुख हितधारकों की सहमति प्राप्त है कि वह कंपनी और ग्रामीण नेतृत्व दोनों को ही संयुक्त समस्या निवारण एवं वार्ता की क्षमता में बेहतरी लाने में मदद करे। हम इन मुद्दों के निराकरण के लिए आगामी महीनों में अनेक क्षमता-निर्माण कार्यशालाओं का सुझाव दे रहे हैं।

इस प्रतिवेदन में शामिल हैं **1)** परियोजना की संक्षिप्त पृष्ठभूमि; **2)** सीएओ द्वारा क्षेत्र के दौरे की विधि का विवरण; **3)** प्रमुख जांच परिणामों का सारांश; और **4)** विश्लेषण और आगामी कदमों के लिए सिफारिशें।

## पृष्ठभूमि

*अनुपालन परामर्शदाता/लोकपाल अर्थात कंप्लाएन्स एडवायसर/ओंबड्समैन (सीएओ) का कार्यालय*

सीएओ विश्व बैंक के भीतर एक स्वतंत्र कार्यालय है जिसका कार्यक्षेत्र है उन लोगों की शिकायतों का निराकरण करना जिन्हें लगता है कि उन पर आईएफसी अथवा एमआईजीए द्वारा समर्थित परियोजनाओं के कारण प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। सीएओ सीधे विश्व बैंक के अध्यक्ष को रिपोर्ट करता है। लोकपाल (ओंबड्समैन) होने के अपने प्रकार्य के तहत वह उठाई गई शिकायत के लिए सभी पक्षों की आम सहमति से कोई हल ढूंढने में मदद करता है।

अलायन-दुहंगन परियोजना के संदर्भ में सीएओ वर्तमान ग्रामीण संगठनों के साथ काम करते हुए उन्हें जवाबदेह होने, सहभागी बनने और सुशासन को प्रोत्साहित करने में सक्षम बनाने की कोशिश करेगा। सीएओ समुदायों में फूट डालने अथवा वैकल्पिक नेतृत्व निर्मित करने का प्रयत्न नहीं करेगा, किंतु वह सभी पक्षों (कंपनी, समुदाय और स्थानीय शासन) को ललकारेगा कि सभी प्रक्रियाएं न्यायपूर्ण, समतापूर्ण और सिद्धांत-आधारित हों। सीएओ ऐसे करारों का समर्थन नहीं करेगा जो सभी पक्षों के हितों की रक्षा नहीं करता हो, जो लोगों को अथवा पर्यावरण को नुक्सान पहुंचाता हो, या जो आईएफसी या एमआईजीए की नीतियों का उल्लंघन करता हो। सीएओ समुदाय विकास परियोजनाओं के लिए धन नहीं देता है। वह आईएफसी और एमआईजीए की नीतियों की छत्रछाया में काम करते हुए यह सुनिश्चित करता है कि प्रायोजक कंपनियां टिकाऊ विकास को प्रोत्साहन देने के अपने उत्तरदायित्वों और वचनबद्धताओं को पूरा करती हैं।

*परियोजना*

अलायन-दुहंगन परियोजना नदी के बहाव की ऊर्जा पर आधारित **192** मेगावाट क्षमता की एक सुयोजित पनबिजलीघर परियोजना है, जिसमें निर्मित बिजली के वितरण की लाइनें बिछाने का काम भी शामिल है। यह परियोजना भारत के उत्तरी राज्य हिमाचल प्रदेश में स्थित बियास नदी की सहायक नदियां अलायन और दुहंगन पर कुल्लु जिले के मनाली के पास बनेगी। संयंत्र अलायन नदी पर बन रहा है, लेकिन उसे अलायन नदी और दुहंगन नदी की धारा को मोडक़र निर्मित संयुक्त धारा द्वारा चलाया जाएगा। [1]

इस बिजलीघर के निर्माण, प्रचालन एवं रखरखाव हेतु अलायन-दुहंगन हाइड्रो पवर लिमिटेड नामक परियोजना कंपनी बनाई गई। परियोजना का प्रायोजक है मलाना पवर कंपनी लिमिटेड, जो एलएनजे भीलवाड़ा घराने के पूर्ण मालिकत्व में है। आईएफसी अलायन-दुहंगन पनबिजली परियोजाना के बांध के लिए धन उपलब्ध करा रहा है और उसके पास इस परियोजना का **10** प्रतिशत इक्विटी है। परियोजना के प्रायोजक ‼ एलएनजे घराना और नोर्वे का स्टेटक्राफ्ट नोरफंड पवर इन्वेस्ट एएस (एसएनपी) - के पास **90** प्रतिशत इक्विटी है।

**4**अक्तूबर **2004** को हिमाचल प्रदेश के ग्रामीणों ने शिकायत दर्ज की कि दुहंगन नदी की धारा को परियोजना हेतु मोडऩे से उनके जल स्रोत सूख जाएंगे, जिससे कृषि, पर्याटन और समग्र जीवन स्तर पर प्रतिकूल असर पड़ेगा। शिकायत में यह भी कहा गया कि प्रायोजक द्वारा तैयार किए गए पर्यावरण और सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन (ईएसआईए) दस्तावेजों में गांववालों की वाजिब चिंताओं को पर्याप्त स्थान नहीं दिया गया है तथा उसमें परियोजना के कारण पडऩेवाले महत्वपूर्ण प्रभावों के संबंध में सुविचारित पारमर्श के लिए आवश्यक जानकारी का भी अभाव है।

सीएओ की मूल्यांकन पद्धति के तहत वरिष्ठ लोकपाल विशेषज्ञ अमर इनामदार ने अपने प्रारंभिक दौरे में आईएफसी परियोजना दल से और शिकायतकर्ताओं और प्रायोजकों से मुलाकात की। मूल्यांकन प्रतिवेदन को मार्च **2005** को अंतिम रूप दिया गया और उसे सीएओ के जाल स्थल (www.cao-ombudsman.org) में प्रकाशित करके सार्वजनिक भी किया गया। अप्रैल **2005** में किए गए एक अनुवर्ती दौरे में एक मध्यस्थता सत्र आयोजित किया जिसमें शिकायतकर्ता और कंपनी वर्तमान मुद्दों के निराकरण हेतु कुछ विशिष्ट कदम उठाने के लिए सहमत हुए। [2] इन कदमों में शामिल हैं:

- कंपनी द्वारा स्पष्टीकरण कि पीने और सिंचाई के पानी की वर्तमान और भावी मांग का परिकलन और मानिटरन कैसे किया जाएगा;
- परियोजना के कारण गांव के वर्तमान जल संभरण को नुक्सान पहुंचने की स्थिति में गांव के वर्तमान जल स्रोतों की रक्षा के लिए विस्तृत आकस्मिक योजना तैयार करना;
- कंपनी द्वारा जगत सुख समुदाय के प्रतिनिधियों के साथ मिलकर ईएसआईए में उल्लिखित प्रमुख प्रतिबद्धताओं के क्रियान्वयन तथा प्रभावित लोगों द्वारा प्रतिबद्धताओं के क्रियान्वयन के मानिटरन के लिए समय-सूची तैयार करना;
- एक उपयुक्त समुदाय विकास कार्यक्रम निर्मित करना; और
- परियोजना से जुड़ी शिकायतों और अपीलों के निपटारे की प्रक्रिया की कारगरता और विश्वसनीयता को बेहतर बनाना।

शिकायत दर्ज करनेवाले व्यक्तियों और कंपनी दोनों ने वर्तमान और भावी मुद्दों के निराकरण के लिए नियमित रचनात्मक एवं सकारात्मक संवाद जारी रखने के प्रति अपना पूर्ण समर्पण जताया, और आश्वासन दिया कि वे इस संवाद में भाग लेंगे और बैठकों में उनकी प्रतिभागिता समुदाय की चिंताओं और मुद्दों का पूर्ण प्रतिनिधित्व करेगी। इन संवादों के परिणामों को गांव के भीतर और कंपनी के साथ व्यापक रूप से प्रचारित किया जाएगा।

इन सहमतियों के बावजूद, समुदाय में काफी आशंका विद्यमान थी और उनमें परियोजना का समर्थन करने में अनिच्छा की भावना काफी प्रचलित है। कंपनी ने जगत सुख गांव में मई **2005** की शुरुआत तक कोई जमीनी कार्य आरंभ नहीं किया था, न ही तब तक कोई औपचारिक संवाद ही आयोजित किया गया था। वर्ष **2006** के प्रारंभ में कुछ गांववालों ने इस कंपनी को अपनी परियोजना कार्य को आगे बढ़ाने से रोकने के लिए भारतीय उच्च न्यायालय से निषेधाज्ञा प्राप्त करने का निश्चय किया। उच्च न्यायालय ने जून **2006** में कंपनी के पक्ष में आदेश जारी किया। उसने परियोजना के निर्माण कार्यों में हस्तक्षेप को निषिद्ध कर दिया और समुदाय और कंपनी से

---

[1] परियोजना क्षेत्र का नक्शा सीएओ के प्रथम मूल्यांकन प्रतिवेदन में शामिल है, जो इस जाल पृष्ठ पर उपलब्ध है: *http://www.cao-ombudsman.org/html-english/complaint_duhangan.htm*

[2] कंपनी का दावा है कि कोर्ट केस और जगत सुख गांव द्वारा बाधित चरणों को छोडक़र बाकी सब चरणों को पूरा कर लिया है

आग्रह किया कि वे धसाथ-साथ काम करते हुए अपने अनसुलझे मुद्दों और चिंताओं को शांतिपूर्ण ढंग से सुलझाएंध। न्यायालय ने उपायुक्त को यह आदेश भी दिया कि वह एक ग्राम विकास समिति गठित करने में सहायता करे जो कंपनी और स्थानीय लोगों के बीच के संबंधों के समायोजन में मदद कर सके। इसके अलावा न्यायालय ने यह भी आवश्यक बताया कि परियोजना के कारण सिंचाई जल पर पड़नेवाले प्रभावों पर अधिक अध्ययन किया जाए।[3]

<u>कार्यरीति</u>

सीएओ टीम[4] **20-25** जुलाई **2006** को अलायन-दुहंगन परियोजन स्थल में यह पता करने के लिए लौटी कि क्या वह कंपनी, समुदाय के नेताओं और स्थानीय शासन (मसलन, पंचायत[5]) की अनसुलझे मुद्दों और चिंताओं के निराकरण की क्षमता बढ़ाने के लिए कुछ कर सकती है या नहीं। सीएओ ने ईएसआईए दस्तावेज तथा अन्य वचनबद्धताओं में परिभाषित अनुबंधों के अनुसार कंपनी के सामाजिक और पर्यावरणीय निष्पादन को भी बढ़ाने का प्रयत्न किया। उच्च न्यायालय के आदेश में सहयोग का जो आग्रह किया गया है, उसके परिप्रेक्ष्य में सीएओ को कंपनी और समुदाय के बीच समस्या निवारण के लिए अधिक व्यवस्थित अभिगम को बढ़ावा देने का अवसर नजर आया। सीएओ ने विभिन्न तबकों के हितधारकों से व्यक्तिगत रूप से बैठकें कीं[6], जिनमें शामिल हैं शिकायत दर्ज करनेवाले प्रमुख व्यक्ति; जगत सुख के अन्य ग्रामवासी; निर्वाचित पंचायत नेता; कुल्लू के जिलाधीश; और भीलवाड़ा कंपनी के प्रतिनिधि।

सीएओ टीम और प्रमुख हितधारकों के साथ हुए विशिष्ट बैठकों में निम्नलिखित बैठकें शामिल थीं :

| | |
|---|---|
| **7/20** | श्री अशोक जोशी, भीलवाड़ा कंपनी ‼ बैठक **1** |
| **7/21** | शिकायतकर्ता, जगत सुख गांव |
| **7/21** | श्री अशोक जोशी और भीलवाड़ा समुदाय प्रबंधन टीम ‼ बैठक **2** |
| **7/22** | शिकायतकर्ता, जगत सुख गांव |
| **7/22** | जगत सुख के ग्रामवासी ‼ सामूह बैठक |
| **7/22** | जगत सुख पंचयात नेता (अध्यक्ष और उपाध्यक्ष) |
| **7/23** | पंचायत सदस्यों की आम बैठक (**7** सदस्यों में से **4**) |
| **7/23** | सडक़ निर्माण स्थल का दौरा और गांववालों से परियोजना के प्रभावों के बारे में बातचीत |
| **7/23** | श्री अशोक जोशी, भीलवाड़ा कंपनी ‼ बैठक **3** |
| **7/24** | श्री छामेल सिंह, कुल्लू के उपायुक्त |

सीएओ टीम ने प्रयास किया कि वह **1**) वर्तमान स्थिति को समझने के लिए सबकी बात सुने; **2**) समुदाय के सभी सदस्यों में सामान्य समझ पैदा करे कि सीएओ टीम परियोजना स्थल में क्यों आई है; और **3**) यह स्पष्ट करे कि सीएओ समुदाय को अपनी विवाद निपटारा क्षमता बढ़ाने में कैसे मदद दे सकता है।

हितधारकों के साथ जिन विशिष्ट मुद्दों की चर्चा की गई, उनमें शामिल हैं:

- समुदाय और कंपनी के बीच के वर्तमान संबंधों की स्थिति
- अनसुलझे सामुदायिक मुद्दों और चिंताओं की पहचान और कंपनी इनके संबंध में इस समय क्या कर रही है; और
- क्या सीएओ समुदाय और कंपनी को अपनी-अपनी संप्रेषण क्षमता और विवाद निवारण प्रक्रियाओं में और सुधार लाने में मदद कर सकता है या नहीं, और यदि हां तो कैसे

[3] इस अध्ययन के परिणाम सितंबर **2006** में पूरे किए जाएंगे।

[4] सीएओ टीम के सदस्य थे वरिष्ठ लोकपाल विशेषज्ञ अमर इनामदार और सीएओ लोकपाल मेग टेलर। उनके साथ कोनसेन्सस बिल्डिग इनस्टिट्यूट (*www.cbuilding.org*), जो एक नामी अंतर्राष्ट्रीय विवाद निपटारा संस्था है, के परामर्शदाता मेरिक होबेन भी थे।

[5] पंचायत एक **7**-सदस्यीय स्थानीय निर्वाचित ग्राम परिषद है जिसके चुनाव हर पांच वर्षों में एक बार होता है। जगत सुख पंचायत **4** गांवों का प्रतिनिधित्व करता है, जिनकी कुल आबादी **2,700** है।

[6] हितधारक शब्द से तात्पर्य उन सभी से है जिन पर निगम की गतिविधियों का प्रभाव पड़ता है तथा वे जो निगम की गतिविधियों को प्रभावित करने की क्षमता रखते हैं। इनमें शामिल हैं स्थानीय समुदाय, सरकारी अभिक्रम, गैरसरकारी संगठन और विपक्षी दल।

## जांच के परिणाम

चित्र **1** में प्रमुख हितधारक और उनके परस्पर संबंध दर्शाए गए हैं जो सीएओ द्वारा किए गए मुलाकातों और वर्तमान स्थिति के बारे में सीएओ की समझ पर आधारित है

**चित्र 1**

परियोजना के वर्तमान हितधारकों और संगठन के बीच के संगठनों का नक्शा

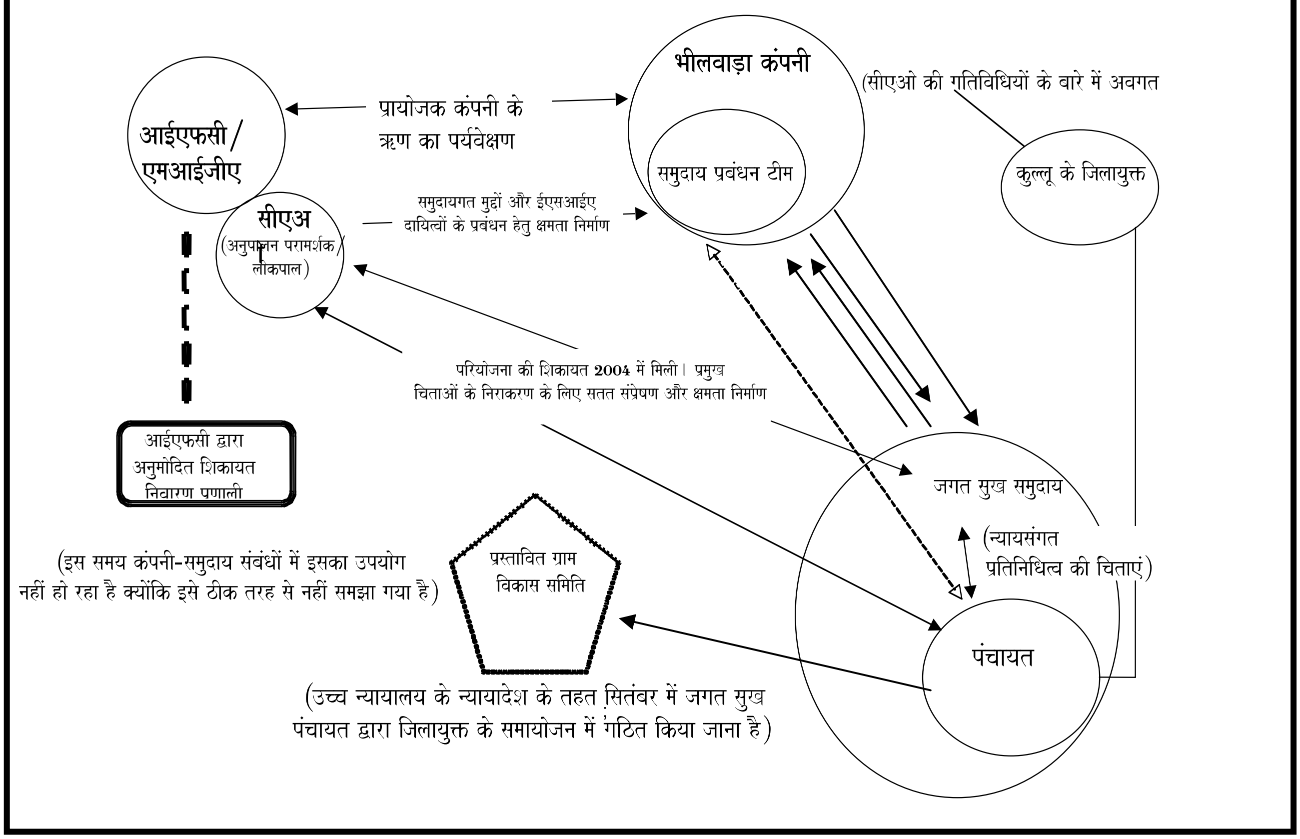

*समुदाय और कंपनी के बीच सुधरे हुए संबंध*

पिछले छह महीनों में जगत सुख समुदाय और भीलवाड़ा कंपनी के बीच के संबंध सुधरे हैं। यद्यपि कुछ गांववाले उच्च न्यायालय के निर्णय से असंतुष्ट हैं, अधिकतर गांववालों ने टिप्पणी की कि नौकरियों और ठेकों के उपलब्ध होने और जगत सुख में कंपनी द्वारा दफ्तर खोले जाने से कंपनी और जनसाधारण से उनका संबंध बेहतर हुआ है। जैसा कि एक हितधारक ने कहा, (कंपनी) ने उल्लेखनीय परिमाण में काम उपलब्ध कराया है और वह अपने वादों को निभाती रही है।कंपनी ने बताया कि जुलाई तक उसने **240** ठेके जारी किए हैं, जिनसे **50** जगत सुख परिवारों को सीधा लाभ पहुंचा है।

*चालू कुंठाएं*

इसके साथ ही समुदाय और कंपनी दोनों ही में अनेक कुंठाएं अब भी विद्यमान हैं। गांववालों का मानना है कि उन्हें परियोजना कार्यों और योजनाओं की बहुत कम जानकारी है और उन्हें ठीक तरह से पता नहीं है कि परियोजना कितने समय तक चलेगी और उनकी प्रमुख चिंताओं - जिनमें पर्याप्त मात्रा में अच्छे गुणस्तर का पानी भी शामिल है - का निराकरण कैसे होगा। अन्य लोगों का यह अभिमत है कि नौकरियां और ठेके प्राप्त करने की समुदाय की तात्कालिक चिंता के कारण पर्यावरणीय और सामाजिक मुद्दों से ध्यान हटा हुआ है, यद्यपि ये मुद्दे भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं। परिणामस्वरूप, आर्थिक लाभ के अवसरों की ओर भाग-दौड़ में समुदाय के निर्धन और शक्तिहीन तबकों की अनदेखी हो रही है। कंपनी के दृष्टिकोण से समुदाय बिना किसी स्पष्ट प्राथमिकताओं के ही निरंतर लाभों और वित्तीय समर्थन की मांग करता रहता है। समग्र रूप से, अनेक हितधारकों की यह धारणा है कि समुदाय को प्रभावित करनेवाले परियोजना-निर्णयों के बारे में अधिक जागरूकता लाकर विश्वास और संप्रेषण की स्थिति पैदा करने की जरूरत है।

*अनौपाचारिक संप्रेषण और विवाद निवारण*

कंपनी और समुदाय दोनों ही वर्तमान समस्याओं और चिंताओं के निराकरण के लिए अनौपचारिक संप्रेषण और विवाद निवारण प्रक्रियाओं का आश्रय ले रहे हैं। समुदाय से जुड़े मुद्दों को अक्सर फोन पर और/अथवा कंपनी नेतृत्व और/या समुदाय विनियोजन टीम द्वारा व्यक्तिगत रूप से निपटाया जाता है।[7] यद्यपि ये तरीके गांव वालों की समस्याओं के निराकरण में आम तौर पर त्वरित एवं प्रभाशाली रहे हैं, जगत सुख समुदाय का अधिकांश भाग अब भी नहीं जान पाया है कि कंपनी किन-किन से बातचीत कर ही है, क्या-क्या निर्णय लिए जा रहे हैं, और यह कि क्या ये निर्णय समुदाय के समग्र हितों के अनुरूप हैं।

परियोजना की औपचारिक शिकायत निवारण प्रणाली का उपयोग नहीं किया गया है, और उसकी अवधारणा को न तो ठीक तरह से समझा गया है न ही उसे आवश्यक ही माना गया है। इस बात को कंपनी और समुदाय दोनों के ही सदस्य मानते हैं। कंपनी नेतृत्व का मानना है कि वर्तमान परिस्थितियों में उसकी व्यक्तिगत, आमने-सामने की संप्रेषण विधि ही एक मात्र कारगर विधि है क्योंकि (क) वह दोनों पक्षों के बीच बातचीत के मार्गों को खुला रखती है, (ख) वह त्वरित प्रतिक्रायाओं को संभव बनाती है, और (ग) समुदाय प्रत्याशित रूप से अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए संगठित नहीं है और अनेक आवाजों में बात करता है।

परिणामस्वरूप, जगत सुख के हितधारकों में यह विचार काफी प्रचलित है कि यद्यपि परियोजना के कारण समुदाय को मिले लाभ सकारात्मक हैं, उसका वितरण न तो पारदर्शी रहा है न ही समतापूर्ण। कुछ गांववालों ने यह दावा भी किया कि समुदाय के नेता अपने परिवारजनों और मित्रों के फायदे के लिए परियोजना के ठेके हथिया रहे हैं और निम्न जातीय लोगों और महिलाओं जैसे अल्पसंख्यक वर्गों की अवहेलना कर रहे हैं। इसके कुपरिणामों में शामिल हैं, पूरे समुदाय के हितों का प्रतिनिधित्व करने की स्थानीय नेताओं की क्षमता का ह्रास, मनमुटाव और समुदाय के भीतर फूट।

*ईएसआईए सामाजिक एवं पर्यावरणीय मुद्दों का प्रबंधन*

[7] यह टीम, जिसमें **4** सदस्य हैं, पिछले **4** महीनों से कार्य कर रहा है और अब भी अपना प्रोटोकोल स्थापित करने में लगा हुआ है।

जगत सुख के निवासियों ने ऐसे सामाजिक और पर्यावरणीय मुद्दों का जिक्र किया जो अब भी चिंता के विषय बने हुए हैं। सीएओ टीम का ध्यान जिन मुद्दों की ओर गया, उनमें निम्नलिखित शामिल हैं:

- गांव को उपलब्ध होनेवाले पेय एवं सिंचाई जल की मात्रा और गुणवत्ता के संबंध में लगातार बनी हुई अनिश्चितता;
- दुहंगन नदी किनारे सडक निर्माण स्थल पर श्रमिकों की सुरक्षा को लेकर चिंताएं;
- महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा का आश्वासन, विशेषकर जब वे विद्यालय अथवा चरागाहों की ओर जा रहे हों;
- परियोजनाकार्यों और ट्रकों की निरंतर आवाजाही से उड़ती धूल;
- निर्माण कार्यों के कचरे का दुहंगन नदी में फेंका जाना;
- दुंहगन पुल के पास स्थित श्मशान घाट तक की पहुंच रास्ते का बंद हो जाना;
- परियोजना स्थल पर विस्फोटक सामग्रियों का उचित उपयोग;
- प्रवासी श्रमिकों के कारण एचआईवी/एड्स बीमारी का फैलना।

कंपनी बताती है कि ईएसआईए में पहचाने गए कई बड़े मुद्दों का निराकरण या तो हो चुका है अथवा उनकी ओर उचित प्रबंधन हो रहा है। उन्होंने यह भी बताया कि लोक निर्माण विभाग ने सडकों पर कुछ कार्य पूरा किया था, जिसके लिए भी अज्ञानवश परियोजना को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। फिर भी, यह चिंता का विषय है कि अब भी कंपनी के पास परियोजना की प्रगति की सूचनाएं गांववालों तक पहुंचाने के लिए कोई औपचारिक माध्यम उपलब्ध नहीं है, न ही उसने ईएसआईए में उल्लिखित सामाजिक एवं पर्यावरणीय प्रतिबद्धताओं को कार्यान्वित करने के लिए कोई विशिष्ट समय-सूची ही तैयार की है। शिकायतकर्ताओं का मानना है कि निर्माण कार्य दुबारा शुरू हो जाने और सबका ध्यान नौकरियां और ठेके प्राप्त करने की ओर हो जाने से ईएसआईए मुद्दों को नजरअंदाज किया जा रहा है। कंपनी दावा करती है कि उसने जल गुणवत्ता और श्रमिक सुरक्षा के कानूनी प्रावधानों को या तो पूरा किया है या उससे आगे बढ़ गई है।

*समुदाय विकास*

सभी हितधारकों ने स्पष्ट किया कि टिकाऊ समुदाय विकास प्रथम प्राथमिकता है। उच्च न्यायालय के न्यायादेश में कुल्लू जिले के आयुक्त और जगत सुख पंचायत से परस्पर सहयोग से एक ग्राम विकास समिति गठित करने को कहा गया है जो सभी महत्वपूर्ण सामुदायिक मुद्दों का प्रतिनिधित्व करे। उन सभी ने जिनका साक्षात्कार लिया गया, कहा कि इस समिति का गठन परियोजना के लाभों के वितरण और समुदाय-कंपनी रिश्तों को औपचारिक रूप देने की दिशा में एक सकारात्मक कदम होगा। सीएओ टीम के साथ हुई बैठकों में पंचायत ने सितंबर **2006** के शुरू में ग्राम विकास समिति गठित करने के प्रति अपनी स्पष्ट प्रतिबद्धता का इजहार किया। कुल्लू जिले के आयुक्त और पंचायत ने यह भी कहा कि समुदाय विकास की पहल पंचायत जैसी वर्तमान संस्थाओं से आनी चाहिए और यह समुदाय के ऊपर थोपी नहीं जानी चाहिए। हितधारकों ने सीएओ के साथ काम करते हुए कंपनी और समुदाय के सम्मिलित प्रयासों से निर्णयन एवं संप्रेषण प्रणालियों को उन्नत बनाने में रुचि दिखाई।

**विश्लेषण**

कंपनी, समुदाय और स्थानीय शासन के प्रतिनिधियों के साक्षात्कार से कुछ मतभेद के होने का पता चला है, किंतु सभी पक्षों में काफी समान रुचियां भी देखी गई। इन्हें नीचे के चित्र **2** में दर्शाया गया है।

जगत सुख समुदाय और कंपनी के बीच के सुधरते संबंध एक अधिक कार्यक्षम संयुक्त समस्या एवं विवाद निवारण प्रणाली की ओर बढने का अवसर प्रदान करते हैं। इस प्रणाली की विशेषताएं होंगी:
- समुदाय और कंपनी दोनों की चिंताओं में परस्पर सहमति से वरियता क्रम निश्चित करना;
- नियमित, सुगठित संवाद और संप्रेषण जो सच्चे अर्थ में समुदाय और कंपनी दोनों के हितों का प्रतिनिधित्व करते हैं;
- निर्णयन प्रक्रिया में बढ़ी हुई सहभागिता और जवाबदेही;
- परियोजना के बारे में पारदर्शी जानकारी समुदाय में व्यापक रूप से पहुंचाना और समुदाय द्वारा इस जानकारी को ठीक तरह से समझना।

ऐसा प्रतीत होता है कि विवाद निवारण के अनौपचारिक विधियों पर निर्भरता के कारण परियोजना के लाभों के समतापूर्ण वितरण को लेकर शंकाएं बढ़ी हैं। यद्यपि कंपनी के कर्मचारियों और व्यक्तिगत ग्रामवासियों के साथ आमने-सामने का वार्तालाप तात्कालिक रूप से विवादों के निपटारे का एक अच्छा साधन हो सकता है, लेकिन इससे समुदाय में अविश्वास और अनिश्चितता को वढ़ावा मिला है और परियोजना और समुदाय के संवंध भी बिगड़े हैं। यदि समुदाय अपने हितों के विषय में अधिक संगठित आवाज में बोल सके, तो इसकी अधिक संभावना है कि कंपनी उसके उन नेताओं के साथ संवाद एवं परामर्श के लिए तैयार हो जाए जो पूरे समुदाय का प्रतिनिधित्व करते हों।

**चित्र 2**

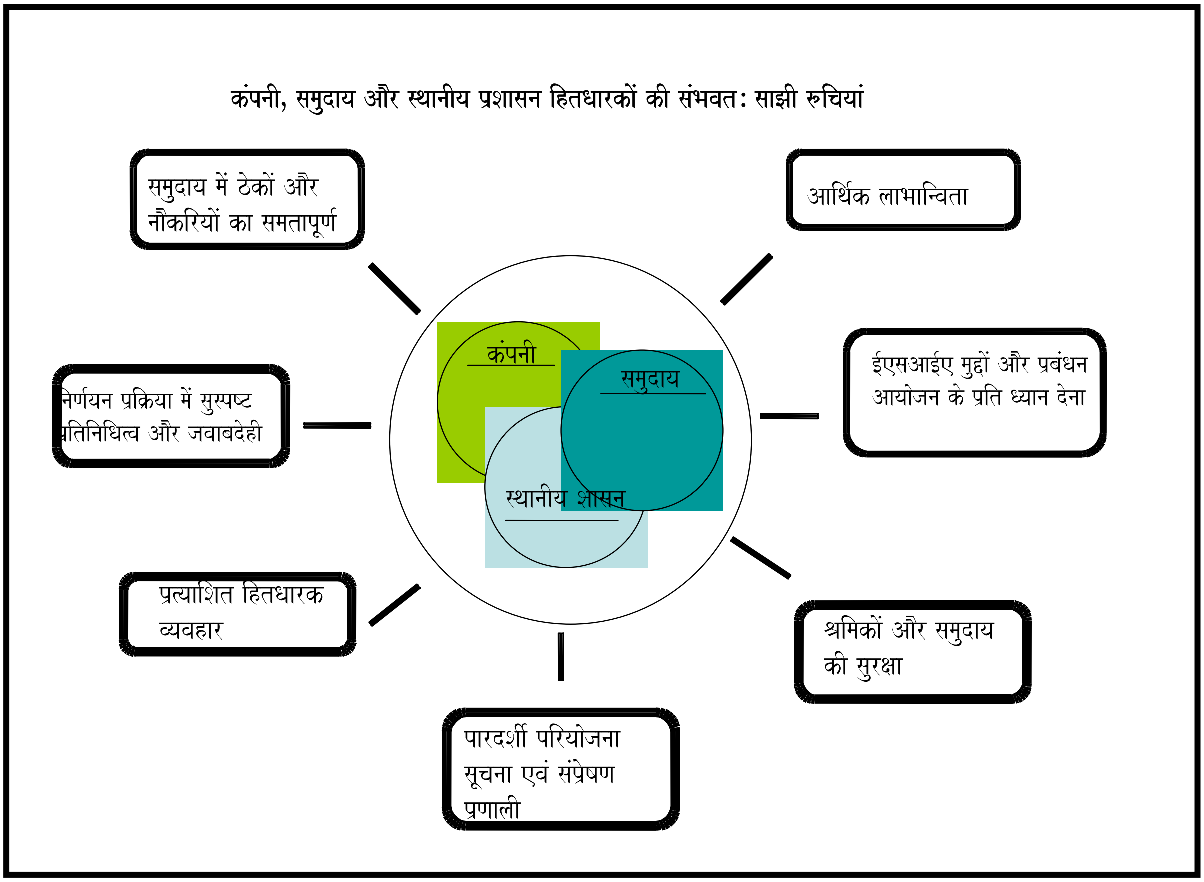

**कुछ विचार**

वर्तमान स्थिति हितधारकों के बीच बेहतर संक्रिया को बढ़ावा देनेवाली ऐसी अधिक टिकाऊ प्रणालियां निर्मित करने का अवसर प्रदान करती है जो रोज-रोज के कामचलाऊ वार्ताओं से अधिक व्यापक हों। सीएओ टीम निम्नलिखित विषयक्षेत्रों की ओर विशेष ध्यान देने की सिफारिश करती है:

**एक-दूसरे की प्रत्याशाओं को स्पष्ट करना।** कंपनी और जगत सुख समुदाय दोनों ही एक-दूसरे से कुछ अव्यक्त प्रत्याशाएं रखते हैं। उदाहरण के लिए, कंपनी चाहती है कि उसे समुदाय की आवश्यकताओं और चिताओं के संबंध में स्पष्ट निर्देश मिले, और समुदाय चाहती है कि परियोजना की प्रगति पारदर्शी एवं प्रत्याशित रूप से हो। इन अव्यक्त प्रत्याशाओं को व्यक्त करने से हितधारकों के लिए संभव हो जाएगा कि वे परस्पर चर्चा एवं लेन-देन से ऐसी प्रत्याशाओं की ओर बढ़ें जो एक-दूसरे के लिए मान्य हों और इस तरह परस्पर सहमति से निश्चित हुई प्रत्याशाओं को पूरा करने की जवाबदेही तय हो सके।

**नीतियों, प्रगति एवं भविष्य के संबंध में पारदर्शिता।** कंपनी का कामकाज किस तरह से होता है तथा गतिविधियां किस तरह से कार्यान्वित की जाती हैं, इन सबके संबंध में जगत सुख समुदाय को जितनी ही अधिक जानकारी होगी, वह अपने भविष्य के निर्धारण की प्रक्रिया में उतना ही अधिक भाग ले सकेगा। कंपनी समुदाय के लिए प्रासंगिक अपनी नीतियों, निर्णयों और समयसूचियों के संबंध में पारदर्शिता दिखाकर मिल-जुलकर काम करने की अपनी तत्परता का प्रमाण दे सकती है। इससे गलतफहमियों और अफवाहों को दूर करना भी संभव हो जाएगा और शिकायत बनने के पूर्व ही मुद्दों को पहचाना जा सकेगा। साथ ही, कंपनी की पारदर्शिता समुदाय की उन मांगों को भी रोक सकेगी जो अनिश्चितता या डर के कारण उत्पन्न होती हैं।

**प्रतिबद्धताओं का अमलीकरण।** यदि कंपनी, स्थानीय प्रशासन और जगत सुख समुदाय की गतिविधियां प्रत्याशित हो सकें, तो इससे सभी पक्षों में विश्वास बढ़ेगा। कंपनी ने लोगों को नौकरियां और ठेके देने की अपनी हाल की प्रतिबद्धता को क्रियान्वित किया है। इसी प्रकार कंपनी को ईएसआईए में पहचानी गई चिताओं और मुद्दों के प्रबंधन की दिशा में किए गए प्रयत्नों के अभिलेखन की प्रतिबद्धता को भी पूरा करना चाहिए। यद्यपि नौकरियों और ठेकों के आ जाने से यह समुदाय की प्रथमिकता नहीं रही है, फिर भी कंपनी ने वादा किया था कि वह इसके निराकरण के लिए यथाशीघ्र औपचारिक योजनाएं और समय सीमाएं निश्चित करेगी।

**औपचारिक और अनौपचारिक दोनों प्रकार की अंतक्रियि की प्रणालियां स्थापित करना।** कंपनी ने जगत सुख समुदाय के साथ अनौपचारिक अंतक्रियि की प्रणालियां स्थापित करने के लिए मेहनत की है। इसके साथ ही, सीएओ सिफारिश करता है कि समुदाय की चिताओं और शिकायतों और इनके प्रति कंपनी की प्रतिक्रियाओं को व्यक्त करने के लिए अधिक औपचारिक प्रणालियां भी स्थापित की जाएं। चूंकि कंपनी और अन्य हितधारकों के बीच की अनुक्रिया ही सामाजिक निष्पादन के अन्य सभी पहलुओं का आधार है, इसे विधिवत एवं पेशेवरीय रूप से हाथ में लेना चाहिए - इसकी स्पष्ट समझ होनी चाहिए कि इसे क्यों किया जा रहा है, किसका प्रतिनिधित्व हो रहा है और यह समुदाय और परियोजना को किस तरह प्रभावित करेगा। अन्यथा हितधारकों के साथ परामर्श एक खर्चीला, समय बिगाडनेवाला और असंतुलित व्यवहार बन जाएगा जिसका मूल समस्या से कोई सरोकार न होगा और वह लोगों में ऐसी ऊंची प्रत्याशाएं जगाएगा जिन्हें परियोजना कभी भी पूरी नहीं कर पाएगी।

चित्र **3**

## अनौपचारिक और प्रतिनिधिक हितधारक संवाद के लाभ और लागत

### अनौपचारिक अभिगम

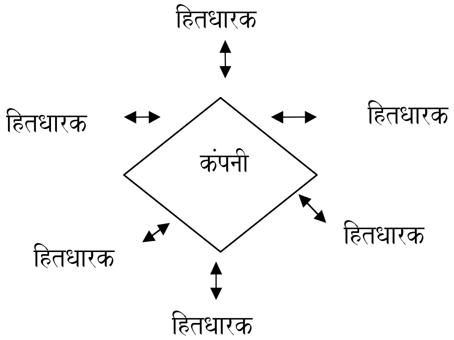


### प्रतिनिधिक संवाद

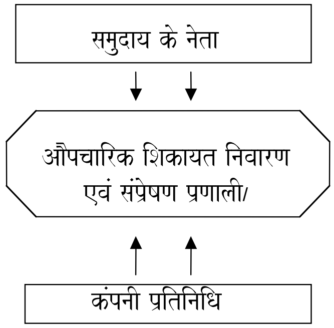


### विशेषताएं (अनौपचारिक अभिगम)

(†) सुविधाजनक और ग्रामवासियों के व्यक्तिगत मुद्दों और चिंताओं के संबंध में फोन द्वारा अथवा मौखिक रूप से त्वरित पतिकाएं

(†) व्यक्तियों को लाभ पहुंचता है

(-) निम्न पारदर्शिता और जवाबदेही

(-) समुदाय की रुचियों के संकारा प्रतिनिधित्व और पक्षपात की संभावना

(-) प्रमुख मुद्दों और चिंताओं के अनियमित प्रवंधन की संभावना

### विशेषताएं (प्रतिनिधिक संवाद)

(†) निर्णयन-प्रक्रिया में वढ़ी हुई पारदर्शिता और जवावदेही

(†) समुदाय के हितों और चिंताओं का अधिक विस्तृत प्रतिनिधित्व

(†) सामुदाय लाभों का समान वंटवारा

(†) प्रमुख मुद्दों और चिंताओं के प्रवंधन में वढ़ी हुई एकरूपता

(-) अधिक औपचारिक और जटिल प्रयास

**क्षमता निर्माण में निवेश।** और अंत में, परियोजना की सफलता को लेकर समुदाय, कंपनी और स्थानीय शासन में बढ़ती हुई समान रुचि है। तीनों प्रमुख हितधारक गुटों में हितों की अभिव्यक्ति, मंचों की स्थापना और संवाद के लिए उचित प्रविधियां विकसित करने की दिशा में क्षमता निर्माण और संयुक्त रूप से अनुबंधों के क्रियान्वयन और उसके समर्थन से सभी का लाभ होगा और यह परियोजना की पूर्ण सफलता को भी संभव बनाएगा।

## सिफारिशें

सीएओ सिफारिश करता है कि आनेवाले महीनों में रुचि रखनेवाले समुदाय के सदस्यों, कंपनी और पंचायत नेतृत्व के लिए खास तौर से तैयार किए गए प्रशिक्षण कार्यशालाएं आयोजित की जाएं। ये कार्यशालाएं कंपनी और समुदाय के बीच के विवादों के निपटारे के लिए निष्पक्ष, पारदर्शी, सहभागितापूर्ण एवं टिकाऊ प्रणालियां कैसे गढ़े जा सकते हैं इस विषय में मार्गदर्शन देंगी। यह सुनिश्चित करने के लिए कि यह प्रशिक्षण ग्राम विकास समिति के गठन में व्यवधान नहीं पैदा करेगा, सीएओ उपायुक्त और पंचायत के साथ समायोजन करेगा। किस तरह का प्रशिक्षण और समर्थन सर्वाधिक उपयोगी रहेगा, इस संबंध में सीएओ स्थानीय लोगों के विचारों एवं सुझावों का भी स्वागत करेगा। इन कार्यशालाओं के परिणामों में शामिल हो सकते हैं, सभी पक्षों के बीच स्पष्ट अनुबंध अथवा समान समझ का ज्ञापन (एमओयू) कि किस तरह से वे सब मिल-जुलकर सकारात्मक रूप से काम करेंगे। यदि इस तरह के अनुबंध सही और समग्र रूप से किए जाएं, तो वे विश्वास की आधारशिला बन सकते हैं।

सीएओ प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण कार्यशालाएं 6-10 सितंबर 2006 को आयोजित करने की पेशकश करता है।

## अगला कदम

सीएओ 15 सितंबर 2006 तक इस प्रतिवेदन के बारे में प्रमुख हितधारकों की अनुक्रियाएं (फीडबैक) प्राप्त करेगा। प्राप्त सुझावों पर विचार किया जाएगा और आवश्यकतानुसार उन्हें सम्मिलित किया जाएगा, जिसके बाद ही सीएओ किसी आगामी गतिविधि में उतरेगा।